


बनाम श्री.....

नम्बर अहकाम हुक्त में ज	ख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
	<p>28/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वकील वादी/प्रार्थी को विधिवत रूप से तीन बार रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई परंतु वकील वादी एवं वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व में भी उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरांत भी वकील वादी/प्रार्थी एवं वादी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः वकील वादी/प्रार्थी एवं वादी/प्रार्थी कि ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  अधिकारी हमारा (उज्ज) </p>	